8-22 अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। अभिभाषक संघ ने कोर्ट कार्य स्थगित रखा है। पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली दिनांक 30.9.22 को पेश हो।

30.9.22 वकुलाये [illegible] स्थित। पीठासीन अ[illegible]र/अवकाश पर है। प्रशा. का[illegible] व्यस्त है। पत्रावली दि 11.11.22 को पेश हो।

11/11/22 अधिवक्ता वादी उपस्थित। अधिवक्ता वादी- अभिवादीगण की तरफ से कहा गया चाहते है वाद नहीं चलाना चाहते है वाद वापस लेने का निवेदन किया। इस आदेश स्थगनुसार वादी का वाद O9R5 CPC के अन्तर्गत तलबी से अभाव में खारिज किया जाता है। जावक लिखित कथन होने दर्ज रजिस्टर है बस हो।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rishav Mandal
Date: 2022.12.14 17:36:09 IST
Reason: SelfAttested